राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 422/2010/जयपुर
2. अपील संख्या 423/2010/जयपुर

मैसर्स खुटेटा स्टील्स,
रोड नम्बर 2, वी.के.आई. एरिया के सामने, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21.07.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 193–194/अपील्स–IV/2008–09/ई में पारित आदेश दिनांक 27.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25(1), 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.11.2008 के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करते हुए दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की, जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है एवं आरोपित मांग राशियों को निम्नांकित तालिकानुसार विवादित किया गया है

अ.सं.	अवधि वर्ष 2006–07	कर	ब्याज	कुल विवादित राशि
422/10	1.10.06 से 31.12.06	2,43,862	55,044	2,98,906
423/10	1.1.07 से 31.03.07	5,27,175	1,06,218	6,33,393

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 03.01.2008 को फर्म मालिक श्री विजय प्रकाश खुंटेटा की उपस्थिति में किया गया, जांच पर पाया

लगातार.....2

कि अपीलार्थी द्वारा ऐसबेस्टोज सीमेन्ट शीट में नालीदार शीट, फ्लैक्सो बोर्ड एवं एयरकोन पेनल को विक्रय किया जा रहा है जिसमें से अपीलार्थी द्वारा फ्लेक्सों बोर्ड एवं एयरकोन की बिक्री तो 12.50 प्रतिशत वैट संग्रहित करके की जा रही है, किन्तु मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट (नालीदार) का विक्रय करमुक्त दर्शाकर किया गया जिसके सम्बन्ध में सशक्त अधिकारी ने जांच करने पर पाया कि अपीलार्थी अपने जारी बिलों पर वैट के कॉलम में एग्जम्पटेड (exempted) अंकित करके विक्रय करता है। सशक्त अधिकारी ने सर्वेक्षण के दौरान जांच में यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा जिस माल का विक्रय किया जा रहा था वह राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.12(63)वित्त/कर/2005–06–62 दिनांक 05.07.2006 द्वारा प्रविष्टि संख्या 60–ए वैट अनुसूची प्रथम के कॉलम संख्या 3 में जोडी गयी शर्तों के अनुसार करमुक्ति योग्य नहीं है क्योंकि इसकी शर्त संख्या 2 के अनुसार केवल वही इकाईयां करमुक्ति की पात्रता रखती है, जिसने राज्य में दिनांक 31.12.06 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो, जबकि अपीलार्थी ट्रेडर है तथा उसके द्वारा विक्रय किया माल राज्य में निर्मित नहीं है। सशक्त अधिकारी ने उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जांच उपरान्त प्रथम दृष्टया करवंचना मानते हुए आलौच्य अवधियों के लिए कर निर्धारण के लिये प्रतिकरापवंचन वृत्त का क्षेत्राधिकार ग्रहण किया गया व अधिनियम की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा जो माल एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट (नालीदार) मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर से खरीद करके राज्य में बिक्री की है, वह माल रूपये 19,50,895/– एवं 42,17,405/– 12.50 प्रतिशत कर योग्य माल है एवं अपीलार्थी ने इस माल को करमुक्त माल होना घोषित किया है जो उसके पास किसी भी आधार से करमुक्त माल नहीं था, पर कर का परिवर्जन/अपवंचन माना जाकर अधिनियम की धारा 25 के तहत कर निर्धारित करते हुए सशक्त अधिकारी ने तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही हेतु नालीदार एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट की अपवंचित बिक्री पर उपरोक्त तालिकानुसार विवादित मांग सृजित की गई तथा करवंचना पर धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई। उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखकर अपीलार्थी की दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर उपरोक्त अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....3

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25(1) में क्षेत्राधिकार मानकर अविधिक आदेश पारित किया है। अपीलार्थी ने एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर ब्रांच से क्रय की है जिसके निर्माण में 25 प्रतिशत Fly Ash के तत्व सम्मिलित है। विक्रेता फर्म द्वारा एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट करमुक्त विक्रय किया गया है तथा कोई कर, वैट इनवाइस में संग्रहित नहीं किया है इस कारण अपीलार्थी ने भी बिना कर संग्रहित किये करमुक्त विक्रय किया गया है तथा प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारी ने दिनांक 03.01.2008 को सर्वेक्षण करके अपीलार्थी द्वारा एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट के विक्रय पर कर संग्रहण नहीं करने तथा करमुक्त विक्रय करने पर करवंचना का अभियोग बनाकर नोटिस जारी किया। उन्होंने कथन किया कि अधिनियम की धारा 25(3) में उपबंधित है कि धारा 25(1) के तहत अभियोग बनाने की दिनांक से 6 माह के बाद कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी का सर्वे दिनांक 03.01.2008 को किया जिसका कर निर्धारण दिनांक 03.07.2008 तक ही हो सकता था परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा आयुक्त महोदय से कर निर्धारण हेतु अवधि नहीं बढवाई गई थी अतः कर निर्धारण दिनांक 14.11.08 को बाद में पारित किया है जो समयसीमा से बाहर होने से अविधिक है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.01.2008 को सर्वेक्षण किया परन्तु कोई करापवंचन का प्रकरण नहीं बना। मात्र मत भिन्नता के आधार पर अभियोग बनाकर कार्यवाही की गई है। विक्रेता मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर द्वारा करमुक्त विक्रय किया गया है तो अपीलार्थी के द्वारा उक्त माल के विक्रय पर कर कैसे संग्रहित किया जाता। इस कारण अपीलार्थी ने भी करमुक्त विक्रय सद्भावनापूर्वक किया तथा कर संग्रहित नहीं किया। इस कारण अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 25(1) का प्रकरण नहीं बनता है। इस बाबत माननीय कर बोर्ड के मैसर्स होन्डा सेल पॉवर प्रोडक्ट लि. बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन 3 जयपुर के प्रकरण में पारित निर्णय उद्धरित (2002) 3 टैक्स अपडेट 320 का हवाला देकर कथन किया कि उनका प्रकरण करापवंचन से संबंधित नहीं है।

8. अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने आयुक्त महोदय के परिपत्र संख्या एफ.3(ए)(3)कर/आयुक्त/81–4192 दिनांक 18.02.1992 के अनुसरण में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत नहीं होते हुए भी कर निर्धारण की कार्यवाही की गई जबकि समस्त अधीनस्थ अधिकारी इस परिपत्र को मानने के लिए बाध्य थे। विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आलौच्य अवधि का धारा 24 के तहत कर निर्धारण नियमित कर निर्धारण अधिकारी के पास लम्बित था। इस कारण अधिनियम की धारा 24 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 25 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करने का कारण नहीं था तथा जाहिर किया

लगातार.....4

कि उनका प्रकरण अधिनियम की धारा 24(1) के तहत आता है। इस कारण नियमित कर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही के पहले ही प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत की गई कर निर्धारण की कार्यवाही अविधिक है।

9. विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी ने मैसर्स हैदाराबाद लिमिटेड, जयपुर से माल खरीदा है जो उसके द्वारा करमुक्त विक्रय किया है, बिक्री की श्रंखला में अपीलार्थी का दूसरा स्थान है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 05.07.06 द्वारा राज्य के उत्पाद को करमुक्त घोषित कर तथा राज्य के बाहर से आयातित सभी प्रकार के माल को करयोग्य माना है जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी), 303 एवं 304(ए) के विपरीत है। मैसर्स हैदाराबाद लिमिटेड, जयपुर ने अपीलार्थी को संशोधित बिल जारी नहीं किये इस कारण अपीलार्थी ने भी बिक्री के बिल रिवाईज्ड नहीं किये। इस कारण सशक्त अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित किया गया बिक्री रूपये 19,28,289 पर कर रूपये 2,43,862/— एवं बिक्री रूपये 42,17,405/— पर कर रूपये 5,27,175/— के आरोपण को अविधिक होना जाहिर किया। साथ ही अधिनियम की धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज राशि रूपये 55,044/— एवं 1,06,218/— को भी अविधिक बतलाया। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित दोनों आदेश दिनांक 27.01.2010 को अपास्त करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

10. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया एवं उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.01.2010 द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने के क्रम में विभाग द्वारा चार अपीलें क्रमशः 1018 से 1021/2010/जयपुर कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई थी जिनका निस्तारण करते हुए माननीय खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2011 द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए विभाग की चारों अपीलें अस्वीकार कर दी गई। आरोपित कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा मात्र यह दो ही अपीलों को कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया जो हमारे समक्ष विचारधीन है। जिनका निस्तारण गुणावगुणों पर किया जा रहा है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान पांच बिन्दु उठाये है। सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा कर का परिवर्जन/अपवंचन किया है अथवा नहीं के बिन्दु पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि अन्य बिन्दु इस तथ्य पर अन्याश्रित है। जिस पर आदेश में आगे विचार किया जावेगा। एस्बेस्टोज सिमेंट शीटस के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना निम्न प्रकार से है :—

लगातार.....5

"F.12(63) FD/Tax/2005-62 Dated 05.07.2006

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Rajasthan Value Adde Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest 80 ot do, hereby makes the following amendment in SCHEDULE-I(S..O. 2036) appended to the said Act, namely:-

In Schedule I appended to the said Act, the existing expression appearing in Column No. 3 against S.No. 60A, shall be substituted by the following expression namely :-

(1) **The goods shall be entered in the Registration Certificate of the selling dealer;**

(2) **The exemption shall be for such goods, manufactured by the dealer who commencens commercial production in the State by 31.12.2006**

(3) **the exemption shall be available up to 23.01.2010 "**

अपीलार्थी ने एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर ब्रांच से क्रय की है जिसके निर्माण में 25 प्रतिशत Fly Ash के तत्व सम्मिलित होना अविवादित है। विक्रेता फर्म द्वारा एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट करमुक्त विक्रय किया गया है तथा कोई कर, वेट इनवाइस संग्रहित नहीं किया है। परन्तु उपरोक्त अधिसूचना के पठन से स्पष्ट है कि विवादित माल की बिक्री कतिपय शर्तों के अधीन ही कर मुक्त है।

13. दूसरा बिन्दु मुक्त व्यापार से असमान प्रतिबंध के मामले को लेकर है जिसमें अपीलार्थी का कथन है कि मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर से करमुक्त बिना कर चुकाये उक्त माल खरीदा है जिसका उसने करमुक्त विक्रय किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.07.06 द्वारा राज्य में उत्पादित माल को करमुक्त तथा राज्य के बाहर से आयातित इसी प्रकार के माल को करयोग्य माना जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 303 एवं 304ए का उल्लंघन होने से अविधिक है परन्तु कर दर निर्धारण राज्य सरकार का विषय है वह राज्य में उद्योगों को बढावा देने हेतु इस प्रकार का विभेद करने में सक्षम है उक्त तथ्य विपणन व्यवहारी (ट्रेडर्स) व उत्पादक व्यवहारी के बीच कर दर से अन्तर कर का मुद्दा है राज्य सरकार राज्य की उत्पादक इकाई को कर में छूट तथा विपणन कर्ता(ट्रेडर्स) को कर दर में छूट नहीं देती है तो कोई अनियमितता नहीं होती है। इससे पूरे भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है क्योंकि उत्पादन कर्ता एवं विपणनकर्ता दोनों का एक समान कार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लि0 की राजस्थान में उत्पादन इकाई नहीं है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क कि सशक्त अधिकारी का कृत्य संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) एवं 304(ए) के विरूद्ध है, अस्वीकार किया जाता है।

लगातार.....6

14. इस संबंध में यह स्पष्ट करना न्यायसंगत होगा कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.12(63)वित्त/कर/2005–06–62 दिनांक 05.07.06 द्वारा प्रविष्टि संख्या 60–ए वैट अनुसूची प्रथम के कॉलम संख्या 3 में जोडी गयी शर्तों के अनुसार करमुक्ति योग्य नहीं है क्योंकि इसकी शर्त संख्या 3 के अनुसार केवल वही इकाईयां करमुक्ति की पात्रता रखती है, जिसने राज्य में दिनांक 31.12.06 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो, जबकि अपीलार्थी ट्रेडर (विपणनकर्ता) है तथा उसके द्वारा विक्रय किया माल राज्य में निर्मित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में की गयी बिक्री पर सामान्य दर अनुसूची V के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से वैट देय बनता है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.11.08 में अपीलार्थी पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज पूर्णतः विधिसम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का कोई भी न्यायोचित आधार नहीं है।

15. तृतीय बिन्दु क्षेत्राधिकार से संबंधित है अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने करापवंचन वृत में पदस्थापित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रश्न उठाया है। परन्तु आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.04.1997 सपठित दिनांक 30.11.2009 का पठन निम्न प्रकार से है :–

"राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में और इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 3(ए)(9)/ज्यरिस/कर /आयुक्त/97–1 (S.No. 0892) दिनांक 01. 04.1997 (समय–समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए, मै. बी.एन.शर्मा, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सहायक आयुक्तो/वाणिज्यिक कर अधिकारियों की अधिकारिता के क्षेत्रों के रूप को इसके द्वारा अवधारित करता हूं ये क्षेत्र इन सहायक आयुक्तो/वाणिज्यिक कर अधिकारियों के वृत्त कहलायेगे और अनुसूची में इस रूप में नामित किये जाएगें।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के अनुसरण में यह अवधारित किया जाता है कि :–

(ii) प्रतिकरापवचंन वृत में पदस्थापित समस्त सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐसे व्यवहारियों पर अधिकारिता रखेगे जिनके विरूद्ध कर के अपवंचन के या कर दायित्व को छिपाने के किसी मामले का जिसमें अधिसूचित कर दर का संदाय न करना या आगत कर का मुजरा गलत रूप से प्राप्त किया जाना भी सम्मिलित है, उस लेखा वर्ष के सम्बन्ध में, जिससे कि ऐसा अपवंचन या छिपाया जाना संबंधित है, निर्धारण, शास्ति और ब्याज के विषयों के संबंध में उनके द्वारा या उनके वृत में वाणिज्यिक कर निरीक्षक/कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा, पता लगाया गया हो।".....

लगातार.....7

करवंचना के प्रकरणों में पूर्व में भी ऐसे ही प्रावधान विद्यमान रहे है। अतः क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में तर्क अस्वीकार किये जाते है।

16. चतुर्थ बिन्दु निर्धारण समय सीमा में नहीं करने के सम्बन्ध में है, जहां तक समय सीमा में कर निर्धारण का प्रश्न है, प्रथम बार चार्जेज नोटिस अन्तर्गत धारा 25 (प्रकरण बनने की तिथि) दिनांक 16.09.2008 को दिया गया है, जिसके छः माह के भीतर कर निर्धारण सम्पूरित कर दिया गया है अतः विद्वान अभिभाषक का तर्क कि छः माह के भीतर पारित नहीं किया गया है अस्वीकार किया जाता है।

17. जहां तक पांचवे बिन्दु में आयुक्त, वाणिज्यिक कर के परिपत्र दिनांक 18.07.1992 के निर्देशों की पालना का प्रश्न है इस सम्बन्ध में धारा 25(1) का पठन उचित रहेगा, तदनुरूप :–

धारा 25 Assessment in case of avoidance or evasion of tax

> **(4) "Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent ot make the assessment for the [relevant year or quarter, as the case may be] and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made uder this section."**

अतः उक्त अधिसूचना के आलोक में करवंचना के कारण अपीलार्थी का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है, चूंकि धारा 25 का धारा 24 पर अध्यारोही (over riding effect) प्रभाव है अतः सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 25 के तहत किया गया निर्धारण उचित होने से विद्वान अभिभाषक का तर्क अमान्य है।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन, विधिक तथ्यों एवं अधिनियम के उपबंधों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की दोनों अपीलों में कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक आदेश पारित किये गये हैं। अतः पारित दोनों आदेश दिनांक 27.01.2010 न्यायोचित प्रतीत होने के कारण यथावत रखे जाते है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

21.3.2011

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष